State Council of Educational
Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur (C.G.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्रमांक/शिक्षक शिक्षा/डी.एड./दूरस्थ शिक्षा/30–2/2013–14/ 4075 दिनांक 12·08·2013

प्रति,

समस्त अध्ययन केन्द्र प्रभारी (प्राचार्य)
दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र क्र......................
शा.डाइट/बी.टी.आई/अशा.शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ/शा.उ.मा.वि. ....
जिला ....

विषयः— दूरस्थ शिक्षा डी.एड. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष सत्र 2013–14 में प्रवेश प्रक्रिया एवं पात्रता सत्यापन बाबत्।

—00—

सत्र 2013–14 हेतु प्रथम वर्ष में प्रवेश पात्रता एवं प्रक्रिया—

1. प्राथमिक एवं पूर्वमाध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किए गए आनलाइन आवेदन के अनुसार द्विवर्षीय डी.एड. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष (सत्र 2013–14) में प्रवेश हेतु केन्द्रवार सूची एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में जारी की गई है। तदनुसार प्रशिक्षार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 22.08.13 तक पूरी कर लेवें एवं प्रवेशित प्रशिक्षार्थियों की जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. को देवें। चूंकि प्रथम वर्ष का संपर्क कार्यक्रम दिनांक29.08.13 से 02.09.13 तक आयोजित है अतः समय पूर्व प्रवेश का कार्य संपन्न कर लेवें।

   प्रवेश के समय सत्यापन हेतु निम्नानुसार दस्तावेज प्रशिक्षार्थियों से प्राप्त कर फाईल में रखें—

- प्रशिक्षार्थियों द्वारा किए गए आनलाइन आवेदन की प्रिंट जो उनके संस्था प्रमुख द्वारा अग्रेषित हो।
- प्रशिक्षार्थी के वर्तमान पद पर नियुक्ति आदेश की छायाप्रति अथवा सर्विस बुक के उस पृष्ठ की छायाप्रति जिससे वर्तमान पद पर नियुक्ति का सत्यापन हो।
- निर्धारित प्रारूप में प्रशिक्षार्थी से शपथ पत्र लेवें। (शपथ पत्र का प्रारूप वेबसाइट में देखें)

1. अभी भी कुछ अप्रशिक्षित शिक्षक शेष हो सकते हैं जो किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाए हैं। ऐसे शिक्षकों से सीधे अध्ययन केन्द्रों में आवेदन प्राप्त करें तथा उनसे उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त कर फाईल में रखें एवं सत्यापन उपरांत उन्हें प्रवेश देकर, अभ्यार्थियों को परिषद् के वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन कराने हेतु निर्देशित करें।
2. हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूलों में व अन्यत्र कार्यरत सहायक शिक्षक/ सहायक शिक्षक पंचायत एवं सहायक शिक्षक (विज्ञान)/सहायक शिक्षक पंचायत (विज्ञान) को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इनसे भी

सीधे केन्द्रों में आवेदन प्राप्त करें तथा इनसे उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त कर फाईल में रखें एवं सत्यापन उपरांत उन्हें प्रवेश देकर परिषद् के वेबसाइट में प्रविष्टि कराने हेतु निर्देशित करे तथा उपस्थिति पंजी के पृथक पृष्ठ पर इनकी उपस्थिति संधारित करें।

बिन्दु क्रमांक 2 एवं 3 में वर्णित अभ्यर्थियों को प्रवेश देते समय यह अवश्य देखें कि अभ्यर्थि आपके केन्द्र के लिए निर्धारित विकास खण्ड में कार्यरत है अथवा नहीं यदि नही तो उन्हें प्रवेश ना दे तथा एस.सी.ई.आर.टी. से मार्ग दर्शन प्राप्त करें।

पाठ्यक्रम के अनुसार 60 दिवसीय शालेय चिंतन एवं मनन कार्यक्रम प्रारंभिक विद्यालयों में इन्हें पूरा करना है अतः दोनों वर्ष क्रमशः 60 एवं 65 दिवस की अवधि में ये इस कार्यक्रम को समीपस्थ स्कूलों में व्यवस्था के तहत् सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त कर पूरा करेंगे। इस आशय का शपथ पत्र (उपरोक्त शपथ पत्र के अतिरिक्त) उनसे प्राप्त करें तथा एक माह की अवधि के भीतर सक्षम अधिकारी का संबंधित स्कूल हेतु आदेश प्राप्त कर फाईल में सुरक्षित रखें।

सत्र 2013–14 हेतु द्वितीय वर्ष में प्रवेश पात्रता एवं प्रक्रिया–

- एसाइन्मेंट/प्रोजेक्ट एवं शालेय चिंतन मनन कार्यक्रम पूरा नहीं करने के कारण अनुत्तीर्ण अथवा सैद्धांतिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रशिक्षार्थीयों को द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाना है। वे छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा प्रथम वर्ष के द्वितीय व अन्य अवसरों की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। साथ ही द्वितीय वर्ष के संपर्क कार्यक्रमों में उपस्थित रहकर द्वितीय वर्ष की सैद्धांतिक व व्यावहारिक परीक्षा में भी साथ–साथ सम्मिलित होंगे।
- ऐसे प्रशिक्षार्थी जिनकी उपस्थिति प्रथम वर्ष में 75 प्रतिशत से अधिक रही है लेकिन वे किसी कारणवश सैद्धांतिक परीक्षा में एक या अधिक विषयों में सम्मिलित नहीं हो पाए अथवा व्यावहारिक मूल्यांकन पूरा नहीं कर पाए उन्हें भी द्वितीय वर्ष में प्रवेश दिया जाना है वे भी उपरोक्तानुसार ही प्रथम व द्वितीय वर्ष को साथ–साथ पूरा करेंगे।
- ऐसे प्रशिक्षार्थी जो प्रथम वर्ष में 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति के कारण परीक्षा से वंचित हो गए अथवा प्रथम वर्ष में प्रवेश उपरांत लंबी अनुपस्थिति व अन्य कारणों से नाम खारिज किए गए प्रशिक्षार्थीयों को द्वितीय वर्ष में प्रवेश नहीं देना है ये प्रथम वर्ष में ही पुनः प्रवेशित होकर सत्र 2013–14 में इसी वर्ष के पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

State Council of Educational Research & Training, Chhattisgarh
Shankar Nagar, Raipur (C.G.)

राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

क्रमांक / शिक्षक शिक्षा / डी.एड. / दूरस्थ शिक्षा / 30–2 / 2013–14 / 4076 दिनांक 12.08.2013

प्रति,

समस्त अध्ययन केन्द्र प्रभारी (प्राचार्य)
दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र क्र......................
शा.डाइट / बी.टी.आई / अशा.शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ / शा.उ.मा.वि. ....
जिला ....

विषयः– दूरस्थ शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में हाईस्कूल / हायर सेकेंडरी स्कूलों में व अन्यत्र कार्यरत सहायक शिक्षक / सहायक शिक्षक पंचायत एवं सहायक शिक्षक (विज्ञान) / सहायक शिक्षक पंचायत (विज्ञान) को भी सम्मिलित किए जाने बाबत्।

—00—

"निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 धारा 23 की उपधारा 2 के अनुसार– *"ऐसा कोई शिक्षक, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।"*

इसी संदर्भ में राज्य के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त प्रारंभिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत समस्त सहायक शिक्षक / सहायक शिक्षक पंचायत / शिक्षक / शिक्षक पंचायत,जिनकी नियुक्ति 3 सितम्बर 2001 के पश्चात हुई हो एवं जिनके पास डी.एड. या बी.एड. की डिग्री नहीं है, के लिये दूरस्थ शिक्षा पद्धति से डी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विगत् वर्ष (सत्र 2012–13) से उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस वर्ष 2013–14 में हाईस्कूल / हायर सेकेंडरी स्कूलों में व अन्यत्र कार्यरत सहायक शिक्षक / सहायक शिक्षक पंचायत एवं सहायक शिक्षक (विज्ञान) / सहायक शिक्षक पंचायत (विज्ञान) को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किए जाने का निर्णय लिया गया है। चूंकि इनसे आनलाइन आवेदन प्राप्त नहीं किये गए हैं अतः इनसे सीधे केन्द्रों में आवेदन प्राप्त करें तथा प्रवेश के समय सत्यापन हेतु निम्नानुसार दस्तावेज प्रशिक्षार्थियों से प्राप्त करें–

- प्रशिक्षार्थियों द्वारा किए गए आनलाइन आवेदन की प्रिंट जो उनके संस्था प्रमुख द्वारा अग्रेषित हो।
- प्रशिक्षार्थी के वर्तमान पद पर नियुक्ति आदेश की छायाप्रति अथवा सर्विस बुक के उस पृष्ठ की छायाप्रति जिससे वर्तमान पद पर नियुक्ति का सत्यापन हो।
- निर्धारित प्रारूप में प्रशिक्षार्थी से शपथ पत्र लेवें।(शपथ पत्र का प्रारूप वेबसाइट में देखें) (दो शपथ पत्र)।

इनसे दस्तावेज प्राप्त कर फाईल में रखें एवं सत्यापन उपरांत उन्हें प्रवेश देकर परिषद् के वेबसाइट में पंजीयन कराने हेतु निर्देशित करे तथा उपस्थिति पंजी के पृथक पृष्ठ पर इनकी उपस्थिति संधारित करें।

चूंकि पाठ्यक्रम के अनुसार 60 दिवसीय शालेय चिंतन एवं मनन कार्यक्रम प्रारंभिक विद्यालयों में पूरा किया जाना है अतः दोनों वर्ष क्रमशः 60 एवं 65 दिवस की अवधि में ये इस कार्यक्रम को समीपस्थ प्राथमिक शालाओं में व्यवस्था के तहत् सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त कर पूरा करेंगे। इस आशय का शपथ पत्र (उपरिलिखित शपथ पत्र के अतिरिक्त) उनसे प्राप्त करें तथा प्रवेश तिथि से एक माह की अवधि के भीतर सक्षम अधिकारी का संबंधित स्कूल हेतु आदेश प्राप्त कर फाईल में सुरक्षित रखें।

तद्नुसार प्रवेश की कार्यवाही दिनांक 22.08.13 तक पूरी करें।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

पृ.क्रमांक / शिक्षक शिक्षा / डी.एड. / दूरस्थ शिक्षा / 30–2 / 2013–14 4077 दिनांक 12.08.2013

प्रतिलिपि –

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग,रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ़,रायपुर को सूचनार्थ।
3. सचिव छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग,डी.के.एस.भवन,मंत्रालय रायपुर को सूचनार्थ।
4. आयुक्त,लोक शिक्षण संचालनालय पेंशनबाड़ा रायपुर को सूचनार्थ।
5. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग रवि.वि.वि. परिसर, रायपुर को सूचनार्थ।
6. राज्य मिशन संचालक, सर्व शिक्षा अभियान,राज्य परियोजना कार्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर को सूचनार्थ।
7. कलेक्टर, जिला ....छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत..को सूचनार्थ।
9. सर्व जिला शिक्षा अधिकारी ....को सूचनार्थ।
10. सर्व सहायक आयुक्त ....आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को सूचनार्थ ।
11. सर्व जिला परियोजना समन्वयक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन..को सूचनार्थ।
12. सर्व प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान....................................को सूचनार्थ।

(अनिल राय)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

डी.एड. दूरस्थ शिक्षा प्रथम वर्ष (2013-14) हेतु सामान्य निर्देश

1. भोपालपट्टनम एवं उसूर के प्रशिक्षु शिक्षकों को बीजापुर केन्द्र द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश संबंधी अभिलेख विकासखंड वार पृथक-पृथक रजिस्टर में रखे जायेंगे।
2. भरतपुर एवं खडगवां के प्रशिक्षु शिक्षकों को मनेन्द्रगढ़ केन्द्र द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश संबंधी अभिलेख विकासखंड वार पृथक-पृथक रजिस्टर में रखे जायेंगे।
3. सीतापुर के प्रशिक्षु शिक्षकों को बतौली केन्द्र द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश संबंधी अभिलेख विकासखंड वार पृथक-पृथक रजिस्टर में रखे जायेंगे।
4. कोयलीबेडा के प्रशिक्षु शिक्षकों को कापसी केन्द्र द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश संबंधी अभिलेख विकासखंड वार पृथक-पृथक रजिस्टर में रखे जायेंगे।
5. चौकी एवं मानपुर के प्रशिक्षु शिक्षकों को मोहला केन्द्र द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश संबंधी अभिलेख विकासखंड वार पृथक-पृथक रजिस्टर में रखे जायेंगे।
6. बागबाहरा के प्रशिक्षु शिक्षकों को महासमुन्द केन्द्र द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश संबंधी अभिलेख विकासखंड वार पृथक-पृथक रजिस्टर में रखे जायेंगे।
7. पाली के प्रशिक्षु शिक्षकों को कटघोरा केन्द्र द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश संबंधी अभिलेख विकासखंड वार पृथक-पृथक रजिस्टर में रखे जायेंगे।
8. सारंगढ़ के जिन प्रशिक्षु शिक्षकों का नाम बरमकेला केन्द्र में आया है उन्हे बरमकेला केन्द्र द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश संबंधी अभिलेख विकासखंड वार पृथक-पृथक रजिस्टर में रखे जायेंगे।
9. मालखरोदा के प्रशिक्षु शिक्षकों को सक्ति केन्द्र द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश संबंधी अभिलेख विकासखंड वार पृथक-पृथक रजिस्टर में रखे जायेंगे।
10. बम्हनीडीह, पामगढ़ ,जैजैपुर, नवागढ़ के प्रशिक्षु शिक्षकों को डायट जांजगीर द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। प्रवेश संबंधी अभिलेख विकासखंड वार पृथक-पृथक रजिस्टर में रखे जायेंगे।

चयन सूची के अनुसार प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 22 अगस्त 2013 है। दिनांक 21 अगस्त 2013 तक प्रवेश नहीं लेने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों को केन्द्र द्वारा फोन करके सूचित किया जाना अनिवार्य है, केन्द्र सुनिश्चित करें कि सभी प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रवेश लेने संबंधी जानकारी मिल जाये।

जिन प्रशिक्षु शिक्षकों ने 2013-14 में अपने पुराने फार्म में फोटो/हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया है / 2013-14 में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है/ जिनका नाम चयन सूची में नहीं आया है ऐसे समस्त प्रशिक्षु शिक्षकों को दिनांक 23/08/2013 से 28/08/2013 अपने विकासखंड के संबंधित अध्ययन केन्द्र में प्रवेश लेगें एवं प्रवेश लेने के तीन दिवस के भीतर एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाईट में ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन कराकर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन का प्रिंटआउट अपने प्रधानाध्यापक/प्राचार्य से सत्यापित कराकर संबंधित अध्ययन केन्द्र मे जमा करायेंगे, ऐसा नहीं करने की स्थिति में प्रशिक्षु शिक्षक का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिये प्रशिक्षु शिक्षक स्वयं उत्तरदायी होंगे।

सभी अध्ययन केन्द्र दिनांक 31/08/2013 तक अपने सभी प्रशिक्षु शिक्षकों को ऑनलाईन प्रवेश दे दें एवं प्रशिक्षु शिक्षकों की सूची का प्रिंट निकालकर केन्द्र प्रभारी/केन्द्र समन्वयक/सहायक केन्द्र समन्वयक अपने अध्ययन केन्द्र में प्रवेशित प्रशिक्षु शिक्षकों की सूची से मिलान कर लेवें।

किसी भी प्रकार की समस्या हो तो निम्न फोन नम्बरों पर सम्पर्क करें

1. संतोष तम्बोली: 75874-99903
2. दिलीप: 75874-99973
3. दिवाकर: 75874-99974

आदेशानुसार
संचालक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद छ.ग. रायपुर